

है। I do not agree with you. I won't agree with you.

*(Interruptions)***

SHRI RATANSINH RAJDA : Do you admit a Calling Attention Notice on this subject ?

MR. SPEAKER : No, Sir. I will see. I have already disallowed the adjournment motion.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Too much injustice has been done to me today.

12.26 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported growing activities of insurgents in the North-East part of the country.

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

“इम्फाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अनेक कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की हत्या कर दिए जाने और बहुत से लोगों को घायल कर दिए जाने की घटनाओं के विशेष सन्दर्भ में देश के पूर्वोत्तर भाग में विद्रोहियों की बढ़ती हुई गति-विधियों के समाचार तथा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही”

12.27 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Sir, I made a brief statement in this House on 15th March,

1984 regarding the incident near Imphal on 14th March wherein some unidentified gunmen, suspected to belong to PLA had opened fire on a CRPF party on law and order and bridge-guard duties near the venue of a Volley Ball match between the Manipur Police and the B.S.F.

2. The strength of CRPF party was 8 and along with them were 3 civil police personnel also. The personnel were spread out—some were patrolling on the Mayang—Imphal Road and some were on a bridge site nearby.

3. There was a crowd of about 2,000 persons, including men, women and children who came to witness the match. At around 4.00 P.M. when the game was in progress, a group of armed insurgents numbering about 15 who seem to have planned their move, took up positions quietly around the CRPF personnel and almost simultaneously fired at them. One CRPF constable was killed and 5 other CRPF personnel received bullet injuries. The insurgents took hold of 4 weapons of CRPF personnel who were killed or seriously injured. The CRPF personnel fired at the insurgents. The insurgents continued to fire with the snatched weapons also. The crowd during the exchange of fire started running helter skelter and in the cross firing there were casualties of civilians also. In all 14 persons are reported to have been killed and they include one CRPF and one Manipur Rifles personnel, although I had mentioned that 2 CRPF personnel were killed in my first brief statement. The number of injured persons is reported to be 38 of whom 34 were hospitalised. One CRPF personnel and one civilian are in a serious condition.

4. During intensive combing operations on March 14 and 15, 17 persons were apprehended and interrogation and enquiries were in progress.

5. Curfew was imposed in the area from 1900 hours on 14th March to 1000 hours on 15th March. The situation in and around Imphal is under control. The markets have also opened and are functioning normally.

6. According to a latest report, the dead body of one of the assailants, injured

during the firing, has been recovered. He has been indentified as Sapam Birajit Singh, who was a PLA leader. The body is believed to have been dumped on road-side near Tharung Khu by persons travelling in a car. The car suspected to have been used and its driver have been taken into custody. Thorough investigation is in progress.

7. IG CRPF and GOC Eastern Command visited Imphal on 15th March, 1984. Effective coordinated action to deal with insurgents was planned.

8. The Council of Ministers of Manipur have decided to extend all help and assistance to those who have lost their lives and those injured in the course of the firing incident on 4th March, 1984. Security measures have been stepped up in the area.

9. As the House is aware, PLA, PREPAK and KCP and other allied bodies were declared unlawful associations in Oct., 1983. The number of extremists arrested in Manipur during 1983 was 95. Besides 13 extremists had surrendered in 1983.

10. The Hon'ble Members have also referred to growing activities of insurgents in the north-east. There has been some incidents in Manipur, Tripura and Mizoram involving extremists, but there has been no significant extremist activity in Nagaland and Assam in the recent months. Meghalaya and Arunachal Pradesh have been peaceful.

11. The whole State of Manipur and the Union Territory of Mizoram stand declared as 'disturbed areas', A belt in Tripura on Tripura-Mizoram border also stands declared as 'disturbed' Security measures have been stepped up.

12. Socio-economic development of the north-eastern region is also receiving due attention. The per capita outlay in the north-eastern region is Rs. 1393-as against Rs. 872/- in the rest of the country in the Sixth Five Year Plan. I may also inform the Hon'ble Members that the first phase of Kopili Hydel Project with 25 megawatt capacity has just been commissioned and the broad gauge railway line between New Bongai-gaon to Gauhati is likely to be completed by April, 1984. A special T.V. network at

an estimated cost of Rs. 36.5 crores is also likely to be launched soon in the north-eastern region.

श्री रामावतार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय 14 मार्च को हेरांगोई-धोंग की अमानुषिक घटना ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जनता विरोधी काले कारनामे को उजागर कर दिया है। इस घटना के पूर्व भी कई बार सी० आर० पी० एफ० के जवान आम जनता पर अमानवीय जुल्म डाल चुके हैं। 16 मार्च को भी हेरांगोई-धोंग घटना के दो दिन बाद, उसकी गोलियों से एक महिला और एक बच्चा घायल हो चुका है। इस प्रकार देखा जाए तो सी० आर० पी० एफ० प्रारम्भ से ही उग्रवादियों से लड़ने के बजाए जनता पर चोट करता आ रहा है। फलस्वरूप संपूर्ण मणिपुर की जनता उसे अपना मित्र नहीं, शत्रु मानती आ रही है।

मणिपुर में सी० आर० पी० एफ० के रहते करीब 20 साल हो गए। परन्तु उसने कभी भी जनता के सुखदुख में साथ दे कर उसकी सदिच्छा और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। बराबर उसकी यही कोशिश रही कि वह वहां के निवासियों को अपने जुल्मों के द्वारा अपना शत्रु मानने को विवश कर दे। यही कारण है कि आज मणिपुर की जनता एवं नौजवान एक स्वर से बर्बरता के प्रतीक सी० आर० पी० एफ० को वापिस करने की जोरदार मांग कर रहे हैं।

14 मार्च, 1984 की हेरांगोई-धोंग की घटना के पूर्व 26.4.90 को सी० आर० पी० एफ० ने उग्रवादियों के बजाय पटसोर्क ग्राम के निवासियों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया जिसमें एक महिला मारी गई, 27-4-80 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की गोली से खवाई बाजार में 3 महिलाओं को घायल किया गया जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। 1.4.81 को उग्रवादियों के हमले से तीन नागरिक और

6 सी० आर० पी० एफ० के जवान लेईमाटक में मारे गए, परन्तु सी० आर०पी० एफ० ने कोई जवाबी हमला नहीं किया, 19-9-81 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस गाड़ी पर एक हैण्ड-ग्रीनेड फेंक दिया जिसका बदला निर्दोष नागरिकों से लिया गया। न्यू कछार रोड पर स्थित विजय गोविन्द में सी० आर० पी० एफ० ने लूट-पाट मचाया। आम लोगों के साथ मार-पीट की गई जिसमें कई लोग घायल हो गए और 5.12.81 को उग्रवादियों ने एम्फाल के आकाशवाणी केन्द्र के आहाते में हैण्ड-ग्रीनेड फेंका। उसके बाद सी० आर० पी० एफ० की गोली से एक विवाहिता युवती अपने घर में मारी गयी।

प्रत्यक्ष दशियों का कहना है कि, 14 मार्च को हेरांगोई-थोंग की घटना अब तक की घटनाओं में सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। उस दिन सीमा सुरक्षा बल और मणिपुर राइफल्स के बीच बाँतीबाल का मैच चल रहा था। बड़ी संख्या में दर्शक वहाँ मौजूद थे। खेल के मैदान से कुछ दूरी पर नाम्बुल नदी पर बने पुल से दक्षिण में खेल के मैदान हैं, वहीं मैच हो रहा था। सी० आर० पी० एफ० के जवान हेरांगोई-थोंग पुल के निकट एक स्थान पर स्थित थे। उनकी ड्यूटी खेल के मैदान में नहीं लगायी गई थी। उनका काम आस-पास में कानून व्यवस्था की देखभाल करना था। इसी बीच उग्रवादियों के एक दल ने सी० आर० पी० एफ० पर हमला कर एक जवान को मार दिया, कई लोगों को घायल कर दिया और कुछ हथियार छीन कर उत्तर की ओर भाग गए। एक उग्रवादी भी घायल हुआ जिसे वे लोग अपने साथ लेते गए। बस क्या था, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक दूसरे जत्थे ने आकर न आब देखा न ताब, उन लोगों ने खेल के मैदान में एकत्र निहत्थे दर्शकों पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप घटना स्थल पर ही 13 निर्दोष नागरिक मारे गए। एक की बाद

में मृत्यु हुई और 38 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में छह बच्चे हैं। अतः यह कहना सफेद झूठ है कि, उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के कारण इन निरपराध व्यक्तियों की मौतें हुईं। इसके लिए एकमात्र दोषी सी० आर० पी० एफ० है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से लोग इतनी घृणा करते हैं कि, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व नागरिकों की पुलिस विरोधी भावना से लाभ उठाकर उनमें अलगाव की भावना उभार रहे हैं और मणिपुर को भारत से अलग करने तक के नारे दे रहे हैं। लगता है कि, बड़े अफसरों के रहने के बावजूद सी० आर० पी० एफ० पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और पुलिस जुल्म का नंगा नाच कर रही है। इस संदर्भ में मैं 17 मार्च के "मणिपुर न्यूज" समाचार पत्र से निम्न उद्धरण उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं मानता।

"There was actually no exchange of fire, and the firing by CRPF was one-sided, aimed at the innocent onlookers. Actually, there was no CRPF-extremist encounter; the incident may be regarded as one of the worse massacres of innocent people by no less than a group of armed police. Moreover, it may also be regarded legally, as the highest crime and morally, the meanest vice against humanity, and the vilest sin against divine law. Has the Government engaged the armed police to shoot and kill the peaceful, innocent people for any crime committed by others? The historic massacre of Heirangoithong will also help to rouse anti-national feelings, and public indignation among the law-abiding and peace-loving people of Manipur. Their action is simply inhuman and beastly."

इस बर्बतापूर्ण घटना के बाद कल मेरी मुलाकात एक सिख सज्जन से हो गई। उन्होंने कटाक्ष के लहजे में पूछा कि शास्त्री जी अगर पंजाब में कोई छोटी सी घटना घटती है तब भी

आप लोग संसद में कुहराम मचा देते हैं। दूसरी ओर मणिपुर में सी० आर० पी० एफ० वालों ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, भिर भी आप सांसदों की बोलती बंद क्यों है ? उनकी कटाक्ष भरी बात सुनकर मेरा माथा धर्म से झुक गया ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हम लोगों ने एडजानमेंट मोशन भी रखा था। आपकी बोलती बंद क्यों हो गई ? ... (व्यवधान) आपको धर्म से सिर झुकाने की जरूरत नहीं थी ।

श्री रामाबतार शास्त्री : इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या धर्म से सिर नहीं झुकेगा ?

इस पृष्ठभूमि में मैं निम्न प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ :—

1. क्या यह बात सच है कि मणिपुर की सभी पार्टियां 14 मार्च के जघन्य हत्याकांड की अदासती जांच की मांग कर रही हैं, जिसमें वहां की सरकार भी शामिल है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? क्योंकि इसकी जानकारी वक्तव्य में नहीं दी गई है ?

2. क्या मणिपुर की जनता वर्षों से यह मांग कर रही है कि वहां में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वापस बुला लिया जाए ? यदि हां, तो इसके बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है ।

3. क्या मृतकों और घायलों के परिवार के लोगों को सरकार की ओर से कोई मदद प्रदान की गई ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

4. क्या यह उचित नहीं होगा कि जिन लोगी की गोलियों से मृत्यु हुई है, उनके परिवार के एक-एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाए ?

5. अब तक सी० आर० पी० एफ० की गोलियों से मारे गए उग्रवादियों और आम

निरपराध नागरिकों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

6. सरकार ने अब तक कितने उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही की है और क्या ?

7. मणिपुर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कौनसी कारगर कार्यवाही की है ?

8. क्या यह सच नहीं है कि मणिपुर की सरकार जब-जब भी कानून-व्यवस्था ठीक रहने का दावा करती है, ठीक उसके बाद ही कोई न कोई अनहोनी घटना घट जाती है, जैसा कि 13 मार्च को दिल्ली दूरदर्शन पर मुख्यमंत्री या उप-मुख्यमंत्री के इंटरव्यू के बाद 14 मार्च को ही हेरांगोई-धोंग की अमानवीय घटना घटी ?

9. मणिपुर की समस्या का समाधान केवल उग्रवादियों का शारीरिक रूप से सफाया कर के नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए राजनीतिक और आर्थिक हल निकालने से ही स्थिति में सुधार लाया जा सकता है ताकि नौजवान उनकी ओर आकर्षित नहीं हो सकें। इस दिशा में सरकार ने कौनसी कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

10. जिन उग्रवादियों ने सरकार के सामने आत्म-समर्पण कर दिया है, उनके साथ कौनसा और कैसा व्यवहार किया जा रहा है ?

11. क्या यह बात सच है कि वहां की समस्या का समाधान निकालने के लिए उच्चाधिकारियों को नहीं भेज कर निम्न-श्रेणी यानी दोयम दर्जे के अधिकारियों को भेजा जाता है जिनसे वहां की स्थिति में सुधार लाने में मदद नहीं मिलती ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, जो 14 मार्च को घटना हुई है, उसे 13 मार्च की घटना बताया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : 14 मार्च ही लिखा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आपने 13 कहा है, सैर, उसमें गलती होगी।

जहां तक मणिपुर में सी० आर० पी० एफ० का तात्लुक है, वजाय इसके कि सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० के जवानों को, वहां जो वह कठिन काम कर रहे हैं, उसके लिए शावाषी दी जाए, यह कहना कि वही निहत्थे लोगों की हत्या कर रहे हैं, ठीक नहीं है। उस रोज जो लोग मरे हैं, वह एक्सट्रीमिस्ट्स से हथियार छीनने के बाद अपने हथियार से जो एक्सचेंज आफ फायर किया है, उस एक्सचेंज आफ फायरिंग के बारे में यह सही हो सकता है कि कुछ लोग सी० आर० पी० एफ० की गोली से मरे हों और कुछ लोग उनकी गोली से मरे हों।

जहां तक सी० आर० पी० एफ० के वहां से हटाने का सवाल है, मणिपुर के लोगों ने या वहां की सरकार ने कोई ऐसी मांग नहीं की है, बल्कि मणिपुर सरकार रि-एन्फोर्समेंट मांग रही है।

श्री रामावतार शास्त्री : सरकार ने पुलिस हटाने की मांग की है, लेकिन जुडिशियल इन्वै-यरी की मांग की है, यह मैंने पूछा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मणिपुर डिस्ट्रिक्ट एरिया घोषित है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट्स पार्टी डिक्लेयर्ड अन-लाफुल है। उनके नाम मैंने बताया हैं। वहां की पुलिस, सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० के द्वारा 1983 में और अब तक 12 एक्सट्रीमिस्ट्स मारे गए हैं और 95 के करीब गिरफ्तार हुए हैं। वहां की सरकार ने घोषणा की है कि डिमीज्ड वी फैमिली को 1,000 रुपए और घायल व्यक्ति को 500 रुपए मुआवजे की री पर दिए गए हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह रकम मुनासिब नहीं

है। डिमीज्ड वी फैमिली को कम से कम 10,000 रुपए देने चाहिए और घायल व्यक्ति को और ज्यादा रकम—500 रुपए से ज्यादा चाहिए। यह प्रश्न हम उनके साथ उठा रहे हैं।

अभी हमारे पास अधिकृत सूचना नहीं आई है, लेकिन मालूम हुआ है कि मणिपुर सरकार ने उस रोज की घटना के बारे में जुडिशियल एनक्वायरी बिठाना तय किया है। जब यह मामला केन्द्र के पास आया, तब इस पर विचार किया जाएगा। उसके कई इम्प्लीकेशन्स हैं। आसाम में इतनी घटनाएं हुईं, लेकिन कोई जुडिशियल एनक्वायरी नहीं हुई। ऐसी सुरत में वहां के पुलिस बल के मनोबल को कायम रखने के लिए मणिपुर सरकार की जुडिशियल एनक्वायरी की मांग को मानना या न मानना उस मांग के आने पर विचाराधीन होगा।

इसके बाद की ओर कोई घटना नहीं है। इससे पूर्व की घटनाओं का विवरण भेरे पास नहीं है। चूंकि यह कालिग एटेन्शन नोटिस 14 मार्च की घटनाओं के सम्बन्ध में है, इसलिए मैंने उन्हीं घटनाओं का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

श्री हरीश रावत (अत्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत जैसे विशाल देश की सीमाएं कई देशों के साथ लगती हों और उन देशों में अस्थिर सरकारें, तानाशाही सरकारें और हमारे प्रति होस्टाइल एटिच्युड रखने वाली सरकारें हों, तब हमारी बाडर स्टेट्स में इनसरजेंसी की वारदातें होना जहां स्वाभाविक है, वहां हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय भी है। पहले उस एरिया में कुछ नोन नेम्ज होते थे। मगर अब लगातार कुछ नए-नए ग्रुपों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं और कई लोग ऐसे ग्रुपों को जायन करते जा रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आखिर इसका कारण क्या है, इसका कूट काज क्या है, कहां हमारे और उनके बीच कम्युनिकेशन गैप है। अपनी बैकवर्डनेस के बारे में जो सैन्सिटिवनेस है, वह दूर हो सके, उनको महसूस हो सके कि हिन्दुस्तान देश उनके साथ न्याय कर रहा है और उनमें सेन्स आफ इनवाल्वमेंट पैदा हो सके, इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वहां पर हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत पुखर है। नेशनल पेपर्स वहां नहीं पहुंच सकते। हमारी तरफ से अभी वहां रेडियो और टेलिवीजन द्वारा प्रचार की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारे खिलाफ जो देश हैं, उनका टेलिवीजन और रेडियो नेटवर्क उस क्षेत्र को सर्व करता है। सरकार ने इस बारे में शुरुआत की है, लेकिन उसको बढ़ाने और स्ट्रेंगथन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

जिन व्यक्तियों और ग्रुप्स ने पहले सरेन्डर किया है, उनके पुनर्वास के लिए कोई ईफेक्टिव व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सरेन्डर करने वाले लोगों के पुनर्वास की ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो लोग इस बुरत हमारे प्रति होस्टाइल एटीट्यूड रखे हुए हैं, वे महसूस करें कि सरकार सरेन्डर करने वालों को प्रापर केयर कर रही है।

यह देखने में आया है कि लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोअर स्ट्रैटा में उग्रवादियों के साथ सहानुभूति रखने वाले तत्व भी हैं, मगर हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। वे लोग इनसर्जेंट्स के खिलाफ हमारे पुलिस आपरेशनज की सूचना उग्रवादियों को दे देते हैं, जिसके कारण हमारा पुलिस बल सफर करता है। इस लिए वहां पर हमारे इन्टेलिजेंस विंग

को स्ट्रेंगथन करना आवश्यक है, ताकि हमको प्रापर सूचना मिल सके कि पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग उग्रवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं।

यह देखा गया है कि जब, कोई बारदात होती है, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन एलर्ट हो जाता है। लेकिन जब उग्रवादियों का दबाव हमपर से हट जाता है, तो हम ढीले पड़ जाते हैं। जो ऐंटी इन्सर्जेंट मेजर्स हैं उन में हम ढील बरतते हैं। मणिपुर के मुख्य मंत्री जी का बयान पेशवा में आया था कि सी० आर० पी० एफ० की बटालियन आसाम चुनाव के वक्त हटा ली गई थी। उसको फिर से वहां पोस्ट नहीं किया गया। इन का यह भी बयान था कि हम ने मणिपुर राइफल्स की एक और बटालियन रेज करने की मांग की थी, हम ने केन्द्र से नयी जीपें भी मांगी हैं लेकिन केन्द्र ने उस की भी अनुमति नहीं दी है। कुछ और सामान भी मांगा है, उस के विषय में केन्द्र की सरकार से अभी कोई रेस्पॉस नहीं आया है। क्या यह बात सही है ? इस सन्दर्भ में आप क्या निर्णय लेने जा रहे हैं ?

इस क्षेत्र में आजकल के० सी० एफ०, एम० एन० एफ०; नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नागालैंड स्टूडेंट्स फेडरेशन, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, पीपल्स इंडिपेंडेंट ब्लाक आफ मणिपुर, आसू, गण-संग्राम परिषद इस तरीके के कई उग्रवादी संगठन काम कर रहे हैं और अखबारों में यह खबर छपी है कि इन सब लोगों ने किसी विदेशी मुल्क की सलाह पर जिस में चीन का नाम आया है, उह की सलाह पर अपनी कोई एक कौंसिल बना ली है ताकि इन का मूवमेंट कोऑर्डिनेट वे में हो सके।

अखबारों में यह भी खबर छपी है कि अमेरिका के राजदूत कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में उन्होंने मणिपुर के एक उग्रवादी

संगठन के नेता से हमारे किसी पड़ोसी देश की मदद से बातचीत की थी। क्या यह बात सही है कि अमेरिका और चीन की मदद से इस तरह कोआर्डिनेटेड एफ्ट्स करने के विषय में कोई इस तरह की बात तय हुई है? यदि यह बात सही है कि उन्होंने कोई कौंसिल बना ली है ताकि वह सम्मिलित रूप से इस इलाके में इन्सर्जेंसी को चला सकें तो मैं जानकारी चाहूंगा कि उस के अनुसार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी पुलिस भी कोआर्डिनेटेड वे में उस इलाके में काम कर रही है या नहीं कर रही है क्योंकि इन्सर्जेंसी वहां एक स्टेट में नहीं है, मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी है और त्रिपुरा में भी है। तो इन सब में इंटर स्टेट कोआर्डिनेशन, इंटर फोर्सेज कोआर्डिनेशन, इंटेलिजेंस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के बीच में कोई कोआर्डिनेशन है? अगर कहीं पर कभी है तो उस को दूर करने के लिए आप क्या सलाह वहां की राज्य सरकारों का देने जा रहे हैं?

अखबारों में यह खबर छपी है, मणिपुर के मुख्य मंत्री के बयान के साथ, भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राजा की हत्या के बाद नागालैंड का कोई एक उग्रवादी संगठन है जिस का नाम है नेशनल सोशलिस्ट कौमिल आफ नागालैंड, उन्होंने कहा है कि हम ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि इस प्रकार के कुछ संगठनों के ऊपर तो बैन लगाया गया है लेकिन कुछ और भी संगठन हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और केन्द्र की सरकार से हम बराबर इस बात की मांग कर रहे हैं कि वह इनके ऊपर बैन लगाए गए मगर केन्द्र की सरकार किसी और राज्य के दबाव में या उन की सलाह पर यह बैन नहीं लगा रही है। क्या यह सही है? यदि नागालैंड का यह संगठन उसी प्रकार का है जैसे एम० एन० एफ० और दूसरे संगठन हैं तो इस पर बैन लगाने के विषय में

सरकार को कहां पर हिचकिचाहट हो रही है, यह हमें बताने की कृपा करें।

वहां पर कुछ इन्सर्जेंट्स ऐसे हैं जिन को लोकल पुलिस ने पकड़ा या सी० आर० पी० एफ० के लोगों ने पकड़ कर लोकल पुलिस के हवाले किया और कोर्ट ने उन को छोड़ दिया क्योंकि लोग शहादत देने के लिए सामग्री नहीं आते हैं। शहादत के अभाव में उन को छोड़ दिया गया। तो ऐसे इलाकों में जहां इन्सर्जेंसी आम बात हो गई है और लोग डर के मारे शहादत देने के लिए नहीं आते हैं। हम को उन इलाकों के लिए कानून में कोई ऐसी तरमीम करनी चाहिए ताकि लोग शहादत के लिए कोर्ट में आ सकें या शहादत के अभाव में भी शंका के आधार पर ऐसे तत्वों को लम्बे समय तक जेल इत्यादि में बन्द रखा जा सके। जब तक कानून में इस तरीके की तब्दीली नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि उस इलाके में हमारा पुलिस बल एफेक्टिवली काम नहीं कर सकता।

मैं जहां आपसे इन सारे बिन्दुओं पर बयान देने के लिए निवेदन कर रहा हूँ वहां इस बात पर भी जोर देकर कहना चाहूंगा कि नार्थ ईस्ट या इस प्रकार के जो दूसरे रिमोट एरियाज हैं, जहां के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं उनकी बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जितना भी आप खर्च कर रहे हैं उसको वहां के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी जानकारी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। विशेष रूप से वहां के नौजवानों को अगर इस बात की जानकारी हो सके कि सरकार उनके साथ हमदर्दी करना चाहती है, उनका विकास करना चाहती है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है, उनके लिए रोजगार के नए साधन मोहैया करना चाहती है तो बहुत अच्छा रहेगा। जब तक आप उनको यह जानकारी नहीं देंगे और यह सेन्स उनमें पैदा

नहीं करेंगे कि देश उनके साथ न्याय करना चाहता है, उनकी प्राबल्य को हल करना चाहता है, तब तक मैं समझता हूँ यह प्राबल्य, जैसा कि शास्त्री जी ने भी कहा है, केवल कानून और व्यवस्था कायम करने से सुधर नहीं सकती है। एक ओर जहाँ हमें पुलिस फोर्स को स्ट्रेंपेन करना चाहिए वहाँ दूसरी ओर जो वहाँ का आर्थिक पक्ष है, जो वहाँ पर बैकवर्डनेस है, उसको दूर करने में उनका रेन्स आफ इन्वाल्वमेंट भी पैदा करने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस क्षेत्र का ताल्लुक है, वहाँ पर केवल कानून और व्यवस्था कायम रखने की तरफ ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि उसके डेवलपमेंट का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में बताया है कि जहाँ डेवलपमेंट के लिए सारे देश में औसतन 872 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाता है वहाँ नार्थ ईस्टर्न रीजन में प्रति व्यक्ति औसतन 1393 रुपया है। इस प्रकार से वहाँ पर डेवलपमेंट की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर एक्सिलरेटेड डेवलपमेंट के लिए और भी प्लान्स बनाए गए हैं। वहाँ पर टेली-कम्युनिकेशन्स और एस० टी० डी० फौंसिलिटोज को काफी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ ही कम्युनिकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं वे स्वयं जानते हैं कि इन स्टेट्स में एस० टी० डी० और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को काफी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

जहाँ तक उन लोगों को बसाने का सवाल है जोकि सरेन्डर हुए हैं, ऐसे प्रत्येक सरेन्डर्ड व्यक्ति पर दस हजार रुपया तक भी बसाने के लिए खर्च किया जाता है और बाद में यदि आवश्यकता हो तो और रुपया भी दिया जा सकता है।

माननीय सदस्य ने नागालैंड के सम्बन्ध में जो एक बात कही उसमें कुछ गलतफहमी मालूम होती है। एन० एस० सी० एन० एक संस्था है मनीपुर में जिसको अनलाफुल डेक्लेयर करने का प्रश्न उन्होंने उठाया है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है क्योंकि कोई भी संगठन जिसकी शाखा दूसरे राज्यों में हो, वह केवल एक राज्य में ही अनलाफुल नहीं हो सकती है, दूसरी जगह भी उसको अनलाफुल डिक्लेयर करना होता है। इसलिए यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

माननीय सदस्य ने जो दूसरे सुझाव दिए हैं कि उन लोगों की बसाने के लिए पूरी कार्यवाही की जाए तो वह की जाएगी। जहाँ तक एक्सट्रीमिस्ट्स के दलों का ताल्लुक है, सभी के बीच में कोई ताल-मेल नहीं है लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में दूसरे राज्यों में सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यद्यपि हमारे पास आधिकारिक प्रमाण नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें कुछ विदेशी ताकतें भी होती हैं। इसलिए वहाँ जो इंफार्मेशन सिस्टम है उसको मजबूत बनाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और उसके लिए हम यहाँ से सहायता दे रहे हैं।

जहाँ तक बी०एस० एफ० की ओर बटेलियन मांगने का सवाल है और मनीपुर बटेलियन और नयी जीप गाड़ियों के लिए पैसा देने का सवाल है, माननीय सदस्य को मालूम ही है कि देश के सामने फाइनेंशियल कांस्ट्रेंट्स हैं इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिलहाल उसको स्वीकार नहीं किया है लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने यह मामला विचाराधीन है।

13.00 hrs.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी,

उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में इनसरजेंट्स के बारे में यह मामला उठाया गया है। वह अब इतना गम्भीर नहीं रहा, जितना कभी हुआ करता था। छुट-पूट वारदातें तो वहां हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए सरकार और वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और सीमा सुरक्षा फोर्स के लोगों की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करके अपनी जान को हथेली पर रख कर तरह-तरह के कष्ट सहन करके उस क्षेत्र की शांति को बनाए रखा है। बहुत मुश्किल होता है जब कोई पुलिस-पेट्रोल कहीं गश्त कर रहा हो और अचानक कुछ इन्सरजेंट्स आ जायें और हमला कर दें। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगे। उस समय यह ख्याल करना कि कहीं कोई सिविलियन या कहीं इनोसैंट लोग उस फायरिंग की चपेट में तो नहीं आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस स्थिति में इन्सरजेंट्स हमला करते हैं, उस स्थिति में सिविलियन को बचाना, हालांकि उनको बचाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है और इनोसैंट लोग मारे जाते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएँ हुई हैं और मेरे पास भी मणिपुर के माननीय सदस्य द्वारा बहुत सी घटनाएँ दी गई हैं। जो घटना हुई है, उसमें पहले इन्सरजेंट्स ने सी० आर० पी० एफ० पर हमला किया और उसके बाद सी० आर० पी० एफ० ने इन्सरजेंट्स पर हमला किया और उसमें कुछ इनोसैंट लोगों की जानें गई हैं। जैसा कि आपने अखबारों में पढ़ा है, यह घटना 14 मार्च को शुरू हुई है और यह बड़े पैमाने की घटना है जो दूसरे स्थान का हवाला दिया है, वहां छोटे पैमाने पर घटना हुई है। वहां पर पहले इन लोगों ने सी० आर० पी० एफ० के लोगों पर गोलियां चलाई हैं और गोलियां चलने के बाद कुछ इनोसैंट लोग, बेगुनाह लोग वहां मारे गए। इस प्रकार की घटनाओं से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन 14 मार्च की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 14 मार्च की

घटना अब तक की चार-पांच साल की घटनाओं से सबसे बड़ी घटना है। हमेशा तो दो-तीन-चार आदमी इस प्रकार की घटनाओं में मारे जाते रहे हैं, लेकिन अब की बार 14 आदमी मारे गए और काफी लोग जख्मी हुए हैं।

सी०आर० पी० एफ० की शास्त्री जी ने निन्दा की है। यह वास्तविकता है कि सी० आर० पी० एफ० की जहां भी स्थिति को कन्ट्रोल करने के लिए पोस्टिंग हुई है, हमेशा उनकी तारीफ की जाती रही है। हमेशा उनके बारे में लोगों की अच्छी राय रही है। हालांकि सी० आर० पी० एफ० को बहुत कठिन परिस्थितियों में पूरे देश में काम करना पड़ता है। चाहे असम का आग हो, चाहे पंजाब की आग हो या चाहे नार्थ-ईस्ट रीजन की आग हो—सभी जगहों पर सबसे पहले सी० आर० पी० एफ० के लोगों को भेजा जाता है। सबसे पहले उन्हीं को कष्ट और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस के बावजूद भी सी० आर० पी० एफ० के लोगों ने बहुत ही, लगन और बहुत ही मेहनत से जिस प्रकार देश सेवा की है, उन की तारीफ करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जितनी उनकी तारीफ करनी चाहिए और जितनी सी० आर० पी० एफ० के लोगों को सुविधायें देनी चाहिए, उतनी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जितने उनको आदमी देने चाहिए, जितनी उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, जितनी उनको तनख्वाह देनी चाहिए, उतनी सरकार सी० आर० पी० एफ० के लोगों को नहीं दे रही है। आज नार्थ-ईस्टर्न रिजन में सी० आर० पी० एफ० की बटालियन को तीन-तीन साल तक रखा जाता है। इन्सर्जेंट्स का मुकाबला करने के लिए, घर-बार को छोड़ कर उन के पीछे दौड़ने और और गोली खाने के लिए, तैयार रहने के लिए, तीन साल की अवधि बहुत लम्बी है। तीन साल के बाद जब वे बेचारे किसी पीस स्टेशन पर आते हैं तो दो-तीन महीनों के बाद

हो फिर से उन को पंजाब भेज दिया जाता है, आसाम भेज दिया जाता है या और किसी डिस्ट्रिक्ट एरिया में भेज दिया जाता है। कभी भी एक साल तक चैन से रहने नहीं दिया जाता है।

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : फल से बाप अपोजिशन की जूबान बोल रहे हैं।

شری رشید مسعود (سہارن پور) : کل سے آپ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔

श्री जेनुल बक्षर : अपोजिशन कहां है ? आप को अपोजिशन नजर आ रहा है ? मैं कौन-सी बुरी बात कह रहा हूँ, यह अपोजिशन की बात नहीं है।

श्री रसीद मसूद : अपोजिशन की बात नहीं है, अपोजिशन की जुबान है।

شری رشید مسعود : اپوزیشن کی بات نہیں ہے۔ اپوزیشن کی زبان ہے۔

श्री जेनुल बक्षर : मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कोई सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि सी० आर० पी० एफ० के लोगों की थोड़े-थोड़े दिनों में बदली होती रहे। अगर कोई बटालियन डिस्ट्रिक्ट एरिया में है तो उस को शान्ति एरिया में भी रखा जाय, विशेषकर दक्षिण भारत में उन की पोस्टिंग की जा सकती है और दक्षिण भारत में जो बटालियन काफी दिनों से है उसे असम, पंजाब या दूसरी जगहों पर भेजना चाहिए। आज बड़ी कठिन परिस्थिति में हमारे सी० आर० पी० एफ० के लोग वहाँ काम कर रहे हैं।

जब कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट होता है, हमारे सी० आर० पी० एफ० के लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन सी० आर० पी० एफ० के पास उन का अपना कोई गुप्तचर विभाग नहीं है। उस को यह पता नहीं चल पाता कि इन्सर्जेंट्स कहां और किस वक़्त जायेंगे, वे कहां छुपे हुए हैं, उनकी

गतिविधियाँ क्या हैं। दूसरी एजेन्सीज जो सूचनाएं देती हैं वे कितनी रिलाएबिल हैं या नहीं है— इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि नार्थ ईस्टर्न रिजन में उनका अपना कोई गुप्तचर संगठन है या नहीं है। यदि है, तो मंत्री जी उस के बारे में बतलायेंगे। वहाँ की लोकल एजेन्सीज के जरिए या दूसरी एजेन्सीज के जरिए उन को जो सूचनाएं मिलती हैं, उन पर ही उनको डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है वे सूचनाएं उन को ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती हैं। जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार इन्सर्जेंट्स दूसरे देशों से आकर हमला करते हैं। बर्मा से या पाकिस्तान की तरफ से या बांडर पर जो राज्य हैं वहाँ से आकर हमला करते हैं और अचानक हमला कर के हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं और इस तरह से मुठभेड़ होती है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि वहाँ जो इन्टेलिजेंस विभाग है वह मजबूत होना चाहिए। दूसरे— सी० आर० पी० एफ० या बी० एस० एफ० या जो केन्द्रीय पुलिस बल के लोग वहाँ मौजूद हैं उनका आपस में अच्छा-खासा तालमेल होना चाहिए। जब तक उनके साथ ठीक प्रकार से तालमेल नहीं होगा, तब तक हमारी सी० आर० पी० एफ० इफेक्टिव तरीके से काम करने में दिक्कत महसूस करेगी। हालांकि उन्होंने अपने काम में काफी सफलता प्राप्त कर ली है, अब ये घटनाएं छुटपुट ही हो रही हैं, लेकिन यदि उन का तालमेल ठीक प्रकार से हो तो उन को ज्यादा कामयाबी मिल सकती है।

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ— जो इन्सर्जेंट्स हैं उनके बारे में सुनने में आया है कि इनको विदेशों में ट्रेनिंग दी जाती है, विदेशों में इनके ट्रेनिंग केम्प हैं, कभी-कभी बर्मा के बारे में खबर आती है, चीन के बारे में तो कई बार समाचार मिले हैं, कभी-कभी

बंगला देश की बात भी समाचारों में आई है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या सरकार ने उन विदेशी शक्तियों से जैसे बर्मा, चीन या बंगला देश हैं, इस मामले में कोई बातचीत की है? क्या इनको पकड़ने के बारे में उन सरकारों से भी कोई तालमेल हुआ है? यदि हुआ है तो माननीय गृह मंत्री जी उसे बतलाने की कृपा करें।

इन्सरजेन्ट्स के जिन संगठनों पर पाबन्दी लगा दी गई है उनकी जो चोरी-छिपे गति-विधियां हो रही हैं, जिन के जरिए पब्लिक में एक प्रकार का भ्रम फैलाने या प्रोपेगण्डे की तरह का काम हो रहा है, उसे रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वह तो सी० आर० पी० सी० नहीं कर सकती, बी० एस० एफ० नहीं कर सकती। क्या इसके लिए गृह मंत्री जी ने कोई बात सोची है। इस तरह के प्रोपेगण्डे के लिए आप क्या कर रहे हैं।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि मिजोरम में एक केसेट लाल डेंगा का, जो इंग्लैंड में रहते हैं, भेजा है। उसमें उनके भाषणों को जगह-जगह पर सुनाया जाता है, जिसमें भारत विरोधी सारी बातें होती हैं और प्रोपेगण्डा होता है। इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। इस प्रकार का जो प्रोपेगण्डा हो रहा है, उस प्रोपेगण्डा को काऊन्टर करने के लिए, उसका जबाब देने के लिए सरकार क्या कर रही है।

अभी रावत जी ने ठीक कहा है कि इस वक्त नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और करना भी चाहिए। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पर काफी विकास करने की आवश्यकता है और विकास कर भी रहे हैं। हमारी सरकार वहां पर काफी पैसा खर्च भी कर रही है लेकिन वहां के लोगों

को इस बात को बताना होगा। वहां पर कम्यू-निकेशन्स इतने डेवलप नहीं हैं और इतने समाचारपत्र भी नहीं निकलते। मैं नहीं जानता कि वहां पर टी० वी० और रेडियो की क्या स्थिति है। क्या वहां पर जगह-जगह पर टी० वी० सेट्स लगाए जा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं लगाए जा रहे हैं, तो लगाए जाने चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाने चाहिए और अगर इस देश में इधर कुछ स्थान छूट भी जाएं, तो छूट जाएं लेकिन वहां पर टी० वी० और रेडियो सेन्ट्रर खोले जाने चाहिए। सरकार उस क्षेत्र के विकास के लिए और वहां पर लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कर रही है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है, यह मंत्री जी बताएं।

एक और सुझाव देना चाहता हूं और यह मेरा आखरी सुझाव है। नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में और भारत की सेना में ज्यादा जगहें देने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए ताकि वे महसूस कर सकें कि भारत की पुलिस फोर्स में या भारत की सेना में या शान्ति बनाए रखने में या भारत की रक्षा में उनका भी एन्वोल्वमेंट है। इसलिए नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० तथा दूसरी केन्द्रीय रिजर्व फोर्स में अधिक से अधिक भर्ती किया जाना चाहिए और सेना में भी ज्यादा लोगों को रखा जाना चाहिए ताकि देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और शान्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए वे अपने को इन्वोल्व कर सकें और अपना इन्वोल्वमेंट महसूस कर सकें।

इन चन्द शब्दों के साथ मैंने जो सवाल किए हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी मेरी इन बातों का जवाब देंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय,

में माननीय सदस्य श्री जैनुल बशर का बहुत आभारी हूँ कि वे एक ऐसे सदस्य निकले, जिन्होंने अपने भाषण में पुलिस के नैतिक बल को बढ़ाने का उल्लेख किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

जहां तक सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का सवाल है, सरकार खुद चाहती है कि उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं। सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० की और बटेलियनों भर्ती की जा रही है लेकिन जहां तक उनकी तख्याहें बढ़ाने का सवाल है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण हमारे स्वयं के चाहते हुए भी हम उनको नहीं बढ़ा पाते हैं। उनका अपना कोई गुप्तचर विभाग नहीं है लेकिन लोकल सी० आई० डी० इसमें उन की मदद कर रही है और समय-समय पर जो मीटिंगें होती हैं, उनमें आर्मी के अफसर और उनके लोकल अफसर शरीक होते हैं।

जहां तक कुछ इनसरजेन्ट कैम्पस का ताल्लुक है, यह बात सुनी गई है कि उनके कुछ कैम्पस बंगलादेश में हैं। वहां की सरकार से इस बारे में संबंध स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वहां पर उन कैम्पों को खत्म किया जा सके।

जहां तक लाल डेंगा से बातचीत करने का सवाल है, सरकार लाल डेंगा से कोई बात नहीं करना चाहती है और अगर कोई उनका टेप वहां पर आया है, तो उस टेप को हासिल करने का प्रयत्न किया जाएगा।

जहां तक इस इलाके में सुविधायें बढ़ाने का ताल्लुक है, मैंने शुरू में ही बताया है कि इस एरिया में टी० बी० के नेटवर्क को काफी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और 36.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इसी दिशा में एप्रूब किया गया

है, जोकि दो साल के अन्दर-अन्दर वहां पर स्थापित हो जाएगा और सभी जगहों पर टी० बी० की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। माननीय सदस्य ने जो और सुझाव दिए हैं, उनके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Sir, I have heard the statment with deep attention. My general observation regarding the tenor of the statment is that efforts have been made to under-estimate the gravity of the situation and it betrays a sense of complacency in respect of the steps already taken by the Government of Manipur and other North-eastern States as also the Government of India. As you know only in December last the Chief Minister of Manipur made a public statement in which he is reported to have said that the insurgency was no longer a problem for the State of Manipur and he was in a position or rather he has come to grips with the problem. But, as a matter of fact, the murder of Mr Shaiza brings about a different story about the claim made by the Chief Minister of Manipur. I do not want to dilate much on the State of Manipur because this call attention notice also concerns the activities of the insurgents in other North-eastern States also, but, having regard to the experince of Manipur, I wish to make this submission that this sense of complacence might have been because of the induction of the Army in Manipur in 1980 or because of certain steps being taken by the Government of Manipur and the Government of India leading to the arrest of—somebody says it is 500 and somebody says more than that—a number of insurgents and the steps taken by the Government in declaring certain areas as disturbed areas. These steps, according to the Government, have improved the situation. The situation has not improved because of these steps.

May I know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that even the Government of Manipur cannot provide Judges to try the cases of insurgents because there is a sense of insecurity and a sense of fear that if somebody sits on judgment and gives a judgment against somebody, then his name will be included in the hit list. Therefore, under an apparent tranquillity

public fear and a lack of sense of security prevails in that part of the country.

Now he has mentioned—and I am one Mr. Shastri that this kind of insurgency is a phenomenon and cannot be dealt with merely as a problem of law and order situation. Regarding Manipur, I think you know the total population is 1.7 million i.e. 17 lakhs. 1.5 lakhs are registered unemployed. In Manipur out of the total population of 17 lakhs, 1½ lakhs youths are registered unemployed youth. I do not know what is the actual figure of the unregistered Manipur youths. This is the phenomenon. This is the economic condition. Therefore, insurgency is not merely in that part of the country a question of law and order; it is very much linked with the economic condition, the economic situation and the economic problem of the entire North-eastern region.

The statement claims that the per capita investment during the Sixth Five Year Plan is much higher than the average per capita investment in the rest of the country. It may be so. There is no doubt that the document might have that figure. In spite of that, I would say that the problem cannot be solved.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Government is giving that figure.

SHRI CHITTA BASU : Yes, Sir, Government is giving that figure. I do not contest that. But, what is the result? The result is that 1.50 lakhs young men in Manipur are still unemployed; the result is that the potential for the hydro-electric power has not been fully harnessed. There has not been an improvement in the railway communication. I am not going into that because I have a long list given by the people in the North-Eastern region. Government should be proud that they are able to invest or claim that the largest per capita investment is in Manipur—it is the highest investment there—as compared to the other States. The result is not very much satisfactory. This much I can say. Of the money which has been invested—you would be sorry to know that—a major part of it, goes only to the pockets of the politicians—corrupt politicians and corrupt bureaucrats.

I think the hon. Member from Manipur will agree with me. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER. Mr. Chitta Basu, you are accusing yourself. You are also a politician.

SHRI CHITTA BASU : I am not a corrupt politician. There is a difference between a corrupt politician and corrupt bureaucrat and the incorrupts. You are also a politician. You are not a corrupt politician. But, if you say that all politicians are corrupt, I think, it is too general an opinion or view. But, politicians are politicians. There are politicians and politicians; there are bureaucrats and bureaucrats also. I have mentioned that there are corrupt politicians and corrupt bureaucrats. Sir, Government have offered certain amnesty to some young men who have discarded the path of violence and who have sought to be rehabilitated or resettled in the society. But, I have received complaints that the administration has been less than fair towards those who have decided to go and rehabilitate or resettle themselves and become a part of the national mainstream. There are a few complaints and, if you want, I can read. There are complaints of official high-handedness. That is, those officers who go over there sometimes behave in a way as if these Manipuris and the North-eastern people are not Indians and that they are much superior to them in their attitude, in their very behaviour of bureaucratic mannerism. Therefore, those frustrated and disappointed young men or women cannot expect a sympathetic attitude from those bureaucrats and this is one of the results causing alienation of the masses from the mainstream of India. Sir, all these things create a condition in which the hard core insurgents are able to convince or persuade or rather restrain the others, that is, the moderate elements, from joining the mainstream. The hard core insurgents say: 'Look, this is how they are made; look, these are the instances of highhandedness wherein they feel that we are not Indians and we are not taken as part and parcel of the mainstream'. This very bureaucratic attitude ultimately kindles the fire. Therefore, I do not want to mention more. One of the major tasks of the Government should be to see that the politicians and administrations take an enlightened view of the

situation and they take a view of the understanding of these people and take a sympathetic view about them. Unless that change is brought about in the minds of the politicians and bureaucrats in their attitude and manner, whatever money you may spend there or whatever good words you may speak for them, they will always feel that they suffer from a sense of alienation. That is more dangerous and it creates the conditions for insurgency.

Sir, I also want to draw the attention of the Government to the fact as to how this grist is brought to the mill of the insurgents. I have got a list of nine young men who have been missing for years together. Their names are...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Don't mention the names. You can pass on this list to the hon. Minister.

SHRI CHITTA BASU : I can pass on the list to him but the fact is that a number of young men have been arrested by the Army and other security agencies; their whereabouts are not being disclosed for the last two to three years. Does it not add to the grist in the mill of the insurgents? They take up these cases and say how oppressions are being perpetrated on Manipuris.

Secondly, the hon. Minister has mentioned that there is no increased activity of insurgents in the North-eastern region as a whole. The situation is comfortable. I disagree with him on that score. There are indications which prove that organisations like PLA, NSCL, Tripura National Voluntary Organisation, Naga National Council and other extremist forces in Assam agitation are trying to have some^d coordination of their activities. There is also evidence that foreign arms are also available with them. I want to know from the arms which have been recovered can the Minister tell the whether any of these arms bear foreign markings? If so, can he give the details? On earlier occasions you have spoken about the foreign money element being there by you have not named the foreign hand involved in this matter. But I would like to say that the global situation has convinced us that Imperialist powers are working round the clock to bring about

de-stabilisation in this country and from this evidence I have come to the conclusion that north-eastern region has become the theatre of de-stabilisation operation.

Having regard to this would the Government of India take appropriate steps to see that both from economic and administrative points of view, conditions are created in which insurgents do not find a fertile ground to develop themselves and that can be done only by involving the people of north-eastern people in the national mainstream of our country?

SHRI NGANGOM MOHENDRA (Inner Manipur) : Sir, I want to tell through you to Shri Sontosh Mohan Dev...

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot do so. Your name is not there. I am permitting you as a special case.

SHRI NGANGOM MOHENDRA : Sir, I want to tell Mr. Sontosh Mohan Dev that because of my proximity to Shri Chitta Basu, who was on his legs, Shri Basu pointed to me that I would be agreeing to the allegation of corruption since I come from that region.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : that is his opinion.

SHRI NGANGOM MOHENDRA : I would like to make it clear that when you yourself were in the Chair on the last occasion I spoke on corruption in Manipur, I used phrase 'Rs. 22 lakhs a gun point and Rs. 7 crores on pen-point, and I want to tell Mr. Sontosh Mohan Dev that these figures were admitted by his own ministers there on the Floor of the Assembly.

SHRI P.C. SETHI : Sir, in the last few months during the extremists' activities it is unfortunate, that the ex-Chief Minister lost his life but I would like to inform the hon. Members that nine people have been arrested in his murder case. There is no question of complacency here. Had it been so we would not have been able to improve the situation and control the insurgency. The hon. Member is not correct in pointing out that insurgency is on the increase. On the contrary we have been able to arrest more people and the insurgency is under

control. For example, in Manipur alone people have been arrested in the year 1983 and 13 people have surrendered. As far as the question of the judges' feeling insecure this is not correct because the judges have been provided with all security. If there is any lack of security in that arrangement, we will certainly look into it and provide more security to them.

Sir, we are trying to tackle the problem of north-eastern region not only as a law and order problem but also as a problem of development and we have done our best in this connection. A part from TV and per capita income I would like to point out that the project which will be commissioned in July 1984 would fully meet the demands of electricity of Manipur. The project will have ancillary irrigation scheme to irrigate 10,000 hectares. Manipur State is also to be connected by a railway line which will extend from Silchar to Jiribam. It is under construction and the construction is expected to be completed by 1986-87.

As far as certain missing persons are concerned, there is no question of keeping their whereabouts secret. There are some writ petitions in this connection going on in the Supreme Court. They are really missing and are not under arrest. The Supreme Court is hearing the petition. It is, therefore, SUB JUDICE matter, and I would not like to add anything in this.

As far as the other suggestion of the hon. Member is concerned, we are not afraid of giving the name of any foreign country. As I have said, we have reports that there are some camps of the insurgents in Bangladesh, but we have no particular about it. However, our External Affairs Ministry is in touch with them and it is not customary normally to give the name of the country wherever their involvement is involved.

13.36 hrs.

LIFE INSURANCE CORPORATIONS BILL

Recommendation to Rajya Sabha appoint a Member to Joint Committee

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pati) :
I beg to move :

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint a Member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill to provide, with a view to more effective realisation of the objectives of nationalisation of life insurance business, for the dissolution of the Life Insurance Corporation of India and for the establishment of a number of corporations for the more efficient carrying on of the said business and for matters connected therewith or incidental thereto in the vacancy caused by the resignation of Shri Era Sezhiyan from the membership of the said Joint Committee and do communicate to this House the name of the Member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint a Member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill to provide, with a view to the more effective realisation of the objectives of nationalisation of life insurance business, for the dissolution of the Life Insurance Corporation of India and for the establishment of a number of corporations for the more efficient carrying on of the said business and for matters connected therewith or incidental thereto in the vacancy caused by the resignation of Shri Era Sezhiyan from the membership of the said Joint Committee and do communicate to this House the name of the